

11-6-25

अभिभाषकें जारी उपस्थित । रेस्टोरेशन आर्चना
पत्र पर बहस सुनी गई । रेस्टोरेशन आर्चना
पत्र, शपथ पत्र, आर्चना पत्र घास - 5 मियाह
मय शपथ पत्र तथा बहस में किये गये कथनों
के आधार पर न्यायद्वित में रेस्टोरेशन आर्चना पत्र
स्वीकार कर आदेश दिनांक 22-5-2024 को रिकॉर्ड
किया जाकर अपील को रेस्टोर किया जाता
है । रेस्टोरेशन आर्चना पत्र नम्बर से कम
होकर मूल अपील के साथ सलग्न हो।
आदेश मुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त सहायक आचार्य
बीकानेर